सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

चैत्र 19, शुक्रवार, *शाके* 1943–अप्रेल 9, 2021

Chaitra 19, Friday, Saka 1943- April 9, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 07, 2021

जी.एस.आर.273 :- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 10 का संशोधन.-** राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के विद्यमान नियम 10 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

   "(1) जहां किसी बालक का जन्म किसी नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माता या पिता या संरक्षक उस बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बारह मास के भीतर बालक के नाम के संबंध में या तो मौखिक या लिखित रूप में सूचना रजिस्ट्रार को देगा:

   परन्तु यदि ऐसी सूचना बारह मास की उपर्युक्त कालावधि के पश्चात् दी जाती है, तो गणना निम्नानुसार की जायेगी:-

   (i) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रारंभ की तारीख से पूर्व किया गया था, वहां राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से अतिरिक्त पांच वर्ष की कालावधि दी जायेगी, या

   (ii) ऐसे मामले में जहां रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् किया गया हो और रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि पहले ही व्यपगत हो चुकी हो, उनमें भी राजस्थान

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि दी जाएगी। उन मामलों के संबंध में, जहां रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि अभी तक व्यपगत नहीं हुई है, उन्हें 15 वर्ष की कालावधि का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा; या

(iii) ऐसे मामले में जहां रजिस्ट्रीकरण राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष की कालावधि दी जायेगी।

धारा 23 की उप-धारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार,-

(क) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है तो पांच रूपये विलम्ब फीस के संदाय पर जन्म रजिस्टर में संबंधित प्ररूप के सुसंगत स्तम्भ में तुरंत नाम प्रविष्ट करेगा; या

(ख) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है और यदि सूचना मौखिक दी गयी हो तो आवश्यक विशिष्टियां देते हुए एक रिपोर्ट बनायेगा और यदि सूचना लिखित रूप में दी गयी हो तो उसे पांच रूपए की विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

[संख्या एफ/13/1/3/आरजीआई/वीएस/डीइएस]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन जैन,

शासन सचिव।

StatisticsDepartment

NOTIFICATION

Jaipur, April 7, 2021

G.S.R.273 .- In exercise of the powers conferred by section 30 of the Registration of Births and Deaths Act 1969 (Central Act No. 18 of 1969), the State Government, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 10.-The existing sub-rule (1) of rule 10 of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000 shall be substituted by the following, namely:-

"(1) Where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within 12 months from the date of registration of the birth of child, give information regarding the name of child to the Registrar either orally or in writing:

Provided that if the information is given after the aforesaid period of 12 months, which shall be reckoned as under:-

(i) In case where the registration had been made prior to the date of commencement of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000, further 5 years period from the date of commencement of the Rajasthan Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2021 shall be given. or

(ii) In case where the registration had been made after the date of commencement of the Rajasthan Registration of Births and Deaths Rules, 2000 and 15 years period from date of registration has already been lapsed, they shall also be given 5 years period from the date of commencement of the Rajasthan Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2021. In respect of those cases, where 15 years period from the date of registration has not yet been lapsed, they shall be allowed to avail the 15 year period;or

(iii) In case where the registration is made after the date of commencement of the Rajasthan Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules 2021, the period of 15 years from the date of such registration, subject to the provisions of sub-section (4) of section 23,

the Registrar shall,-

(a) If the register is in his possession forthwith enter the name in the relevant column of the concerned from in the birth register on payment of a late fee of rupees five;or

(b) If the register is not in his possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and if the information is given in writing, forward the same to the officer specified by the State Government in this behalf for making the necessary entry on payment of a late fee of rupees five."

[No. F/13/1/3/Rgi/vs/Des]

By order of the Governor,
Naveen Jain,
Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।